

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 119 / 2018
आर.सी.टी. कं. 114 / 18
संस्थापन दिनांक—27.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

विरुद्ध

राजेश पिता मोतीलाल कोली, उम्र 40 साल,
निवासी टंटियामामा बैडा कुंआ थाना ठीकरी जिला
बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

//निर्णय//
(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)

01— अभियुक्त राजेश के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 21.02.2018 को समय 16:30 बजे, स्थान— काकरिया रोड कुंआ पर आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना 10 लीटर कच्ची शराब रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 21.02.2018 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति काकरिया रोड से राजेश पिता मोतीलाल निवासी टंटियामामा कुंआ का अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है, मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान महेश पिता राधेश्याम व राजु पिता देवदास को तलब कर सूचना से अवगत कराकर साथ लेकर काकरिया रोड पर पहुंचे। तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन लेकर आते दिखा, जिसे रोक कर नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश पिता मोतीलाल कोली होना बताया। आरोपी राजेश के पास से थैली को चेक करते उसके अंदर एक केन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना बताया। शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी राजेश का

निरंतर.....

उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान के समक्ष आरोपी राजेश के कब्जे से एक केन में 10 लीटर महुआ शराब जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 70/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी राजेश पिता मोतीलाल के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी राजेश पिता मोतीलाल ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 10 लीटर कच्ची महुआ शराब रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 1000/—रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर
टंकित किया गया।

सही/—

सही/—

(शरद जोशी)

(शरद जोशी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0